//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 81 / 2019

उनवान

1. रमेश यादव पुत्र सांवल जाति यादव (अहीर), नि0 बड के नंदी, रामपुरा अहिरान, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :— जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 14.8.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल रामपुरा अहिरान के खाता संख्या 343 / 338 किता 18 रकबा 7.47 में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र सांवला, खसरा नम्बर 1376 रकबा 0.02 में रामेश्वर पुत्र सांवलराम अंकित है। किन्तु प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम रमेश यादव एवं पिता का नाम सांवल यादव है। उक्त आराजी में अंकित अन्य खातेदार कैलाश, जगदीश, नन्दलाल, बंशीलाल, सत्यनारायण पि0 सांवला प्रार्थी के सगे भाई है। प्रार्थी के उक्त सभी सगे भाईयों का संयुक्त रूप से एक शपथ पत्र प्रस्तुत है जो इस बात की ताईद करता है कि प्रार्थी का नाम रामेश्वर न होकर रमेश है। अतः प्रार्थी का नाम आराजी मुतनाजा पर रामेश्वर के स्थान पर रमेश अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। ग्राम व पटवार मण्डल रामपुरा अहिरान के खाता संख्या 343 / 338 किता 18 रकबा 7.47 में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र सांवला, खसरा नम्बर 1376 रकबा 0.02 में रामेश्वर पुत्र सांवलराम अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि उका वास्तविक नाम रमेश है। किन्तु प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का पूर्व राजस्व अभिलेख पेश नही किया गया जिसमें उसका नाम रमेश अंकित हो प्रार्थी के नाम उक्त आराजी विरासत से आयी है तो विरासत का नामान्तकरण भी प्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया है। प्रार्थी का नाम हाल राजस्व अभिलेख में रामेश्वर किस तरह दर्ज हुआ यह प्रार्थी ने स्पष्ट नही किया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थी के सभी सगे भाईयों का संयुक्त रूप से एक शपथ पत्र प्रस्तुत है जो इस बात की ताईद करता है कि प्रार्थी का नाम रामेश्वर न होकर रमेश है।" किन्तु प्रार्थी ने उक्त शपथ पत्र पेश नही किया है। रामेश्वर व रमेश एक ही व्यक्ति है इस बाबत ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी प्रार्थी ने पेश नही किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम की धारा 136 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख में लिपिकीय त्रुटि करने का प्रावधान है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व अभिलेख में वर्तमान इन्द्राज प्रकार त्रुटिपूर्ण है यह प्रार्थी द्वारा सिद्ध नही किया गया है।

अतः ग्राम व पटवार मण्डल रामपुरा अहिरान के खाता संख्या 343/338 किता 18 रकबा 7.47 व खसरा नम्बर 1376 रकबा 0.02 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested